

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या -05/06 32/2013
सरदार सिक्कर लाल सिल्ली बनाम् शान्ता तिर्की

आदेश
का क्रम
की संख्या
टिप्पणी
की तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

- आदेश -

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछले तिथियों से लगातार उभय पक्ष अनुपस्थित चले आ रहे हैं, उभय पक्षों की अभिरुचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा भू-वापसी वाद क्रमांक 5/2006 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में भू-वापसी पुनरीक्षण वाद संख्या 16/2007 सान्ता तिर्की बनाम् सत्कार लाल सिल्ली एवं राज्य दायर किया गया है। प्रशगत वाद में ग्राम रामगढ़, खाता नं0- 298, प्लॉट नं0- 460, रकबा- 36 डिसमिल में भू-वापसी हेतु दावा किया गया है।

प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर भू-वापसी पुनरीक्षण वाद संख्या 16/2007 सान्ता तिर्की बनाम् सत्कार लाल सिल्ली एवं राज्य में दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश के आलोक में नियमानुसार वांछित कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है। साथ ही निम्नांकित कार्रवाई हेतु आदेशित किया जाता है :-

1. इस भूमि के दोनों हिस्सेदार शांता तिर्की एवं बनेट तिर्की को नोटिस निर्गत करते हुए प्रशगत भूमि के बटवारा किए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. गैर आदिवासी व्यक्ति द्वारा आदिवासी खाते की भूमि पर दखल किया गया है, जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। उक्त दखल 1990 के बाद किया गया स्पष्ट होता है। अतः आदिवासी रैयत को चिन्हित करते हुए दखल दिहानी हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।

आदेश की एक प्रति एवं प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर भू-वापसी पुनरीक्षण वाद संख्या 16/2007 सान्ता तिर्की बनाम् सत्कार लाल सिल्ली एवं राज्य में दिनांक 10.05.2013 में पारित आदेश की प्रति भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ को प्रेषित करें। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

255/विधि
03/04/18